

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशिवल्स जज	न अह हुकम
---------------	-----------------------------------	-----------------

08/04
26

पत्रावली पेश हुई। रुक रुक कर तीन बार आवाज दिल्हि गई। न तो बकील उपस्थित ही पक्षकारान, ऐसी स्थिति में यह न्यायालय इस पत्रावली को आगे जैकार शक्य उचित नही समझता है। न्यायालय द्वारा इस पत्रावली को अदम हाजरी अदम पैखी में श्वारिज किया जाता है। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

✍

(सौरभ भाम्बु)
सुपखण्ड अधिकारी
मांगरोल